संख्या–162 / छत्तीस–2–2014–10 / 2010

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर श्रमायुक्त / उप श्रमायुक्त,
उ0प्र0।

श्रम अनुभाग–2

लखनऊः दिनांक 03 फरवरी, 2014

विषय :– प्रतिष्ठानों का पंजीकरण एवं सेस का मुल्यांकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार अधिनियम–1996 की धारा–7(1)ए एवं बी तथा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार(नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) नियमावली–2009 के नियम–23 के अंतर्गत प्रत्येक निमार्णाधीन प्रतिष्ठान के सेवायोजक द्वारा निर्माण प्रारम्भ होने के 60 दिन के अंदर प्रतिष्ठान के पंजीयन हेतु प्रपत्र–1 पर 03 प्रतियों में प्रार्थना–पत्र, जिसके साथ कार्य स्थल की स्थिति / स्थान का मानचित्र और पंजीयन हेतु निर्धारित फीस के भुगतान की रसीद होगी, प्रस्तुत किया जाये। प्रार्थन–पत्र प्रस्तुत होने पर पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का पंजीयन करते हुए पंजीयन प्रमाण–पत्र जारी किया जाये।

2. उक्त के अतिरिक्त अधिनियम की धारा–46 एवं नियमावली के नियम–45 के अंतर्गत प्रत्येक सेवायोजक निर्माणाधीन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में कार्य प्रारम्भ होने के 30 दिन के पूर्व क्षेत्रीय निरीक्षक को प्रस्तावित भवन / अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में प्रपत्र–4 पर अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराये। यदि संबंधित सेवायोजक द्वारा उपरोक्त सूचना नही दी जाती है, तो संबंधित निरीक्षक द्वारा निर्माणाधीन कार्य के संबंध में निरीक्षण किया जाये और प्रपत्र–4 से संबंधित सभी सूचनाओं को अंकित करते हुए निरीक्षण–टिप्पणी जारी की जाये। जारी की गयी निरीक्षण–टिप्पणी का अनुपालन न किये जाने पर, निरीक्षण–टिप्पणी का जवाब दिये जाने हेतु निर्धारित अवधि के उपरांत सक्षम अधिकारी / क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सेवायोजक को पंजीकृत नोटिस दी जाये। नोटिस का जवाब प्राप्त न होने पर सेवायोजक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।

3. अधिनियम की धारा–04 एवं नियम–06 के अनुसार यदि कोई सेवायोजक कार्य प्रारम्भ होने की 30 दिन की अवधि के अंदर निर्धारित प्रारूप–01 पर निर्धारण अधिकारी को सूचना उपलब्ध नही कराता है, तो उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा सेवायोजकों को प्रारूप–01 पर सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु पंजीकृत नोटिस जारी की जाये। प्रारूप–01 पर सूचना प्राप्त होने पर उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा–07 के अंतर्गत गठित विशेषज्ञ समिति की सहयोग प्राप्त कर उपकर निर्धारण आदेश पारित किया जाये। उपकर निर्धारण का कार्य तकनीकी होने के

दृष्टिगत विवादों से बचने के लिए प्रत्येक जिले में तैनात आयकर मूल्यांकन कर्ता (Income Tax Evaluator) के माध्यम से निर्माणाधीन भवन का मूल्यांकन करा ले। उपकर निर्धारण आदेश की प्रति 05 दिन के अंदर बोर्ड एवं उपकर संग्राहक के साथ–साथ नियोजक/निर्माणकर्ता को भी उपलब्ध करायी जाये।

4. अधिनियम की धारा–04(2) के अंतर्गत निर्धारित सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में भी उपकर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्थलीय जॉच उचित समझता हो कराकर उपकर निर्धारण आदेश पारित किया जाये और उक्त की प्रति भी उपकर संग्राहक के साथ–साथ नियोजक/निर्माणकर्ता को भी उपलब्ध करायी जाये। उपकर निर्धारण आदेश से असंतुष्ट होने की दशा में सेवायोजक द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर पुर्नस्थापना प्रार्थना–पत्र में दर्शाये गये औचित्य पूर्ण कारणों से संतुष्ट होने की स्थिति में पूर्व पारित उपकर निर्धारण आदेश अपास्त किया जाये एवं पुनः निर्धारित विधि से संशोधित उपकर निर्धारण आदेश पारित किया जाये।

5. कृपया उक्त निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या–162/छत्तीस–2–2014,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रूद्र कुमार गुप्ता)
विशेष सचिव।